रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 2015/आश्विन 28, 1937
No. 280] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2015/ASVINA 28, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2015

विषय : चीन जन-गण और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एए ड्राई सैल बैटरियों" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

सं. 14/31/2014-डीजीएडी.—घरेलू उद्योग की ओर से एसोसिएशन आफ ड्राई सैल मैन्युफेक्चरर्स (जिन्हें आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एए ड्राई सैल बैटरियों" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यत: प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह आवेदन घरेलू उद्योग अर्थात् एवरएडी इंडस्ट्रीज इंडिया लि. पैनेसोनिक एनर्जी इंडिया कं. लि. और इंडोंनेशनल लि. की ओर से एसोसिएशन आफ ड्राई सैल मैन्युफेक्चरर्स द्वारा दायर किया गया है।

4. एसोसिएशन के दावे के अनुसार असंगठित क्षेत्र में अनेक उत्पादक भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन करते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा असंगठित क्षेत्र के इन उत्पादकों के उत्पादन के संगठित क्षेत्र के उत्पादन का 5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक कंपनियों का उत्पादन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का 'प्रमुख हिस्सा' बनता है। अत: प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जॉंच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद "एए ड्राई सैल बैटरियां" हैं। एए ड्राई सैल बैटरियां मूल रूप से जिंक कार्बन पैंसिल बैटरियां होती हैं। यह बैटरियां विभिन्न किस्मों में उपलब्ध हैं। जिंक कार्बन पैंसिल बैटरियों को 'आर6', 'एए' और 'यूएम3' बैटरियों के रूप में भी जाना जाता है, पेपर और धातु, हैवी ड्यूटी और सुपरहैवी ड्यूटी बैटरियों, जैकेटन रूप में जॉंच के दायरे के भीतर आती हैं। जैसा आवेदक द्वारा बताया गया है रीचार्जेबल बैटरियां, अल्केलाइन बैटरियां, एएए बैटरियां, डी साइज और सी साइज बैटरियां वर्तमान जॉंच के दायरे से बाहर हैं।

6. एए ड्राई सैल बैटरियों को प्राथमिक रूप से फ्लेशलाइटों, ट्राजिंस्टरों, खिलौनों, दीवार और मेज घडियों,टेप रिकार्डरों, वाकमैन, सीडी प्लेयरों, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों, डाक और तार, रक्षा और पुलिस द्वारा वायरलैस प्रणाली के लिए और सिग्नल के लिए रेलवे द्वारा प्रयोग किया जाता है।

7. एए ड्राई सैल बैटरियों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के सीमाशुल्क उप-शीर्ष 8506 10 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

8. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा आवेदकों ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अत: प्राधिकारी वर्तमान जॉंच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों/क्षेत्रों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

शामिल देश

9. वर्तमान जांच चीन जन. गण. और वियतनाम (जिन्हें 'संबद्ध देश' भी कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

10. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध । के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अधीन कार्य कर रहे हैं। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण. में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

वियतनाम में सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदक ने अनुरोध किया है कि वियतनाम में घरेलू कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के सर्वोत्तम संभव प्रयास किए गए थे परंतु उन्हें इन देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या विश्वसनीय सूचना नहीं मिल सकी। आवेदक द्वारा वियतनाम के संबंध में सामान्य मूल्य प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के लिए आवश्यक समायोजनों के बाद भारतमें उत्पाद लागत के आधार पर दावा किया गया है।

निर्यात कीमत

11. आवेदकों द्वारा निर्यात कीमत का निर्धारण आईबीआईएस से प्राप्त आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देशों से भारित औसत आयात कीमत के रूप में किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरर्देशीय भाड़े के व्यय और पत्तन व्यय के लिए कीमत संबंधी समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

13. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की बढी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, उत्पादन,बिक्री, बाजार हिस्सा, मालसूचियों में गिरावट के अनुसार भारी परिणामी प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

14. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से आयात विशेष रूप से अप्रैल 2013 अर्थात चीन पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के बाद चीन से अचानक बढ गए थे। अत: याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का खतरा है। आवेदकों ने पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद आयातों में भारी वृद्धि होने, आयात कीमतों में गिरावट, भारी आधिक्य क्षमता और संबद्ध देशों में उत्पादकों का काफी निर्यातोन्मुख होने के बारे में संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे के आधार के रूप में बताया है।

जांच अवधि (पीओआई)

15. वर्तमान जाँच के लिए जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 (12 महीनों) तक की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2011-मार्च 2012, अप्रैल 2012-मार्च 2013, अप्रैल 2013-मार्च 2014 और जांच की अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है-:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग

चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

18. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में" गोपनीयता "का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट(क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक , सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

21. ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5)प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2015

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of 'AA Dry Cell Batteries', originating in or exported from China PR and Vietnam.

No. 14/31/2014-DGAD: Association of Indian Dry Cell Manufacturers on behalf of domestic industry (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty concerning imports of AA Batteries (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR and Vietnam (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The Application has been filed by Association of Indian Dry Cell Manufacturers on behalf of domestic industry, namely, Eveready Industries India Ltd., Panasonic Energy India Co. Ltd., and Indo National Ltd.

4. As per the claims of the Association a number of producers in the unorganized sector also produce the subject goods. The production of these produces in unorganized sector has been estimated by the domestic industry in the region of 5% of the production in the organized sector. As per the evidence available on record, the production of the applicant companies constitutes "a major proportion" of the domestic production. The Authority, therefore, determines that the applicant companies constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

5. The product under consideration for the purpose of present investigation is 'AA Dry Cell Batteries'. AA Dry Cell Batteries are basically zinc carbon pencil batteries. The batteries are available in various types. Zinc Carbon pencil batteries also known as "R6", "AA", "UM3" batteries, both in paper and metal, heavy duty and super heavy duty batteries, jacketed form are within the scope of investigation. As stated by the applicant, rechargeable batteries, alkaline batteries, AAA batteries, D size and C size batteries are beyond the scope of the present investigation.

6. AA Dry Cell Batteries is primarily used for flashlights, transistors, toys, wall and table clocks, tape recorders, walkman, CD players, cameras, other electronic equipment, post & telegraph, defense and police for their wireless systems and railways for signaling.

7. AA Dry Cell Batteries are classified under custom sub-heading 8506 10 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

Like Article

8. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicants, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject countries are

comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicants have further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicants in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries/territories.

Countries involved

9. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR and Vietnam (referred to as the "subject countries").

Normal Value

10. Applicants have claimed that China PR should be treated as a nonmarket economy and determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicants have claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from china PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

As regards normal value of Vietnam, the Applicant has submitted that best possible efforts were made to procure evidences of domestic price in Vietnam, but however they were unable to get any documentary evidence or reliable information with regard to the domestic prices of the subject goods in these countries. The applicant has claimed the normal value in respect of Vietnam on the basis of cost of production in India after due adjustments for the international price of the major raw materials.

Export Price

11. The export price has been claimed by the applicants as the weighted average import price from subject countries based on the import data obtained from the IBIS. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses and port expenses to arrive at the net export price.

Dumping Margin

12. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above de minimis.

Injury and Causal Link

13. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of decline in production, sales, market share, inventories. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

14. The applicants have claimed that imports have spurted from subject countries especially from China since April 2013, i.e., after cessation of anti dumping duties on China. Petitioner has therefore claimed that the imports are threatening material injury to the domestic industry. Applicants have submitted significant increase in imports after cessation of anti dumping duties earlier levied, decline in import price, significant surplus capacity and high export orientation of the producers in subject countries as grounds for claiming threat of material injury to the domestic industry from subject imports.

Period of Investigation (POI)

15. The period of investigation for the present investigation is from 1st April, 2014 to 31st March 2015 (12 months). The injury investigation period will however cover the periods Apr'11-Mar'12, Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14 and the period of investigation.

Submission of information

16. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,

Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce

4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,

New Delhi -110001.

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

18. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on

being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.